अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 25 (6)/सामान्य पत्रावली/2013/2099. दिनांक 15.7.2021

सहायक निदेशक, क्षैत्रीय कार्यालय, समस्त
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
समस्त,राजस्थान।

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना भिजवाये जाने बाबत।
संदर्भः इस कार्यालय का पत्र कमांक 2066 दिनांक 12.04.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण की धीमी प्रगति देखते हुये तथा वर्षों तक आक्षेपानुसार कोई कार्यवाही नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया है तथा विभागीय स्तरीय ऑडिट समिति की बैठक में इस सम्बन्ध में विशेष निर्देश जारी किये गये थे। ऑडिट समिति की पुनः बैठक निकट भविष्य में होने की संभावना है तथा **महालेखाकार विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2021 को जारी तथ्यात्मक विवरण एवं दिनांक 09.06.2021 को विभागीय अभिमूल्यन नोट (Departmental Appreciation Note) जारी कर कॉलेज शिक्षा विभाग के बकाया महालेखाकार आक्षेपों को निस्तारित कर जवाब चाहा गया है।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन के बकाया आक्षेपों की पूर्ण पालना कर नवीनतम अनुपालना दो प्रतियों में मय समर्थित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ दिनांक 25.07.2021 तक इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। अपूर्ण एवं सारहीन अनुपालना स्वीकार नही की जावेंगी तथा निर्देशानुसार चाही गई वांछित अनुपालना प्राप्त नही होने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

संलग्न :–

1. निर्धारित प्रारूप

15/07/2021

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ 25 (6)/सामान्य पत्रावली/2013/2099–2100 दिनांक 15.7.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर

महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि वर्ष ....की अनुपालना रिपोर्ट

क्र.सं.	अनुच्छेद संख्या	अनुच्छेद का विवरण	विभागीय अनुपालना	आयुक्तालय की टिप्पणी	महालेखाकार की टिप्पणी